Polity

सदस्यों की योग्यताएँ [Qualifications of Members]

(अनु॰ 173) - वह भारत का नागरिक हो, ऐसी अन्य योग्यताएँ रखता है जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई है। (विधानसभा / विधानपरिषद्)

(Art. 173) - He must be a Citizen of India and must possess such other qualifications as may be prescribed by any law made by parliament.

[1.] भारत का नागरिक
[2.] न्यूनतम आयु
 - विधानसभा (MLA) ⇒ 25 वर्ष
 - विधानपरिषद् (MLC) ⇒ 30 वर्ष
[3.] लाभ के पद पर न हो।
[4.] पागल न हो।
[5.] दिवालिया न हो।
[6.] दल-बदल कानून के तहत अयोग्य न हो।

सदस्यों की अयोग्यता [Disqualification of Members]

संविधान के अनु॰ 191-

(i) जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है। या Who holds an office of profit under the Government of India or any State Government. Or

(ii) जो सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त (Unsound Mind) घोषित कर दिया गया है। या Who has been declared of unsound mind by a competent court. Or — पागल है।

(iii) जो घोषित दिवालिया (insolvent) है। या Who is declared insolvent. Or

(iv) जो भारत का नागरिक नहीं है। या Who is not a citizen of India. Or

(v) जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया गया है। या Who has been disqualified under a law made by parliament. Or

(vi) जो दल-बदल के कारण अयोग्य है। Who is disqualified due to defection.

सदस्यों की अनर्हता पर विनिश्चय

[Decision on disqualification of members]

अनुच्छेद 192) के अधीन कोई सदस्य किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्धारण राज्यपाल के विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा जो निर्वाचन आयोग की राय से अपना निर्णय देगा।

The question as to whether a member has become subject to any disqualification under article 192 shall be referred to the Governor who shall give his decision in consultation with the election commission.

अयोग्य सम्बंधी प्रश्नों का निर्धारण कौन करेगा - राज्यपाल द्वारा किया जायेगा, लेकिन निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद - Art. 192

Q⇒ अगर निर्योग्यता का प्रश्न MLA/MLC ↓ दल-बदल के आधार पर उठता है तो इसका निर्धारण कौन करेगा ? ⇒ विधानसभा का अध्यक्ष (Speaker of Legislative Assembly) / विधानपरिषद् का सभापति (Chairman of Legislative Council)

Q⇒ अगर कोई निर्योग्यता का प्रश्न किसी सदस्य पर MP/MLA/MLC. बनने से पहले उठता है तो इसका निर्धारण कौन करेगा? ⇓ Court (न्यायालय)

(अनु० 172) कार्यकाल उसके प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है। इस अवधि के पूर्व भी मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह राज्यपाल द्वारा विघटित (Dissolved) की जा सकती है। आपात काल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(Article 172) The term of the Assembly is 5 years from the date of its first meeting. Even before this period, it can be dissolved by the Governor on the advice of the Chief Minister. if the declaration of emergency is in force, the

Parliament can extend the term of the Assembly by law, which will not be more than one year at a time.

⇒ विधानसभा का कार्यकाल - Art. 172 (Tenure of LA)

→ प्रथम बैठक के दिन से 5 वर्ष

→ राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से 5 वर्ष पूर्व (Before 5 years) भंग / विघटित (Dissolved) की जा सकती है।

⇒ राष्ट्रपति आपातकाल (National Emergency) के समय इसके कार्यकाल को संसद द्वारा (By the parliament) 1 बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

विधानसभा

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / Speaker's D-Speaker

1) ये दोनों MLA होते हैं।
2) ये विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं।
3) कार्यकाल (Tenure) = 5 वर्ष
4) त्यागपत्र (Resignation) अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को देता है।

विधानपरिषद्

सभापति / उपसभापति (Chairman / Vice-Chairman)

ये दोनों MLC होते हैं

→ ये विधानपरिषद् सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं।

→ कार्यकाल ⇒ 6 वर्ष

त्यागपत्र ⇒ सभापति, असभापति को और उपसभापति सभापति को देता है।

उपाध्यक्ष का कार्य → जब अध्यक्ष का पद रिक्त था तह अपने पद पर अनुपस्थित है. तब उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा

→ उपसभापति → जब सभापति का पद रिक्त हो या वह अपने पद पर अनुपस्थित हो. तब उपसभापति, सभापति के रूप में कार्य करेगा।

अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य [Powers and functions of the Chairman

वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।

↳ सभापति के कार्य → विधानपरिषद

He presides over the meetings of the Assembly and Conducts the proceedings of the House.

वह सदन में शांति और व्यवस्था बनाये रखता है
He maintains peace and order in the House? अध्यक्ष / सभापति

वह सदन की कार्यवाही को स्थगित या निलम्बित कर सकता है? – अध्यक्ष / सभापति
Can he adjourn or Suspend the proceedings of the House?

कोई विधेयक धन विधेयक (Money Bill) है अथवा नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। (केवल अध्यक्ष का कार्य है। सभापति का नहीं)
The Speaker decides whether a bill is a Money Bill or not.

वह किसी प्रश्न पर मतदान करता है और परिणाम की घोषणा करता है। — अध्यक्ष / सभापति
He puts a question to vote and announces the result.

यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष मे बराबर मत आयें, तो वह 'निर्णायक मत' का प्रयोग करता है। - अध्यक्ष / सभापति
If there are equal votes in favour and against a question, then he uses the 'Casting vote'

विधान परिषद (Legislative Council)

↳ U.P, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तेलंगाना

Art. 171

⇒ विधानपरिषद की संरचना / गठन (Composition of Legislative Council)

↳ सदस्यों से (MLC)

⇒ अधिकतम सदस्य (Maximum Members) ⇒ विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 (total members of Legislative Assembly x 1/3)

⇒ न्यूनतम सदस्य (minimum members) = 40

⇒ सबसे बड़ी विधानपरिषद उत्तर प्रदेश (U.P) की है, इसमें 100 सीट हैं।

सदस्यों का निर्वाचन (Election of Members)

अनु० 171 (3) के अनुसार

⇒ अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect election)

Voters | मतदाता

1/3 → सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा (MLA'S)

1/3 → " " " स्थानीय सरकारों द्वारा (By the Local Governme

1/12 → " " " अध्यापकों द्वारा (By the Teachers)

1/12 " " " स्नातक विद्यार्थियों द्वारा (By the Graduate Student)

1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत (Nominated by the Governor)

⇒ कला (Art)
⇒ साहित्य (Literature)
⇒ विज्ञान (Science)
→ समाज सेवा (Social Service)
→ सहकारी आंदोलन (Cooperative Movement)

